न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 50/2018

1. सरंपच ग्राम पंचायत जोधवाला तहसील श्रीगंगानगर

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरियें तहसीलदार राजस्व, श्रीगंगानगर

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

बाबत रास्ता

– :: निर्णय ::– दिनांक :– 25.05.2018

सरपंच ग्राम पंचायत जोधेवाला द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गांव के किसानों द्वारा चक 15 जी छोटी के मुरब्बा नम्बर 14, 13, 12 व 22, 23, 24 के बीच में दोनों तरफ से आठ आठ फुट भूमि छोड़कर पक्की सड़क का निर्माण करनें की सहमति प्रदान की गई है ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूमि पर पक्की सड़क का निर्माण किया जाता है जिसके लिये श्रीमानजी की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।

अतः 15 जी छोटी के मुरब्बा नम्बर 14, 13, 12 व 22, 23, 24 के बीच में दोनों तरफ किसानों द्वारा पक्की सड़क बनानें के लिये छोड़ी गई भूमि पर पक्की सड़क का निर्माण करनें की अनुमति प्रदान की जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर किया गया तहसीलदार श्रीगंगानगर से रिपोर्ट प्राप्त की गई प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चक 15 जी छोटी पटवार मण्डल जोधेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 13 के मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 1 ता 25 की 6.200 हैक्टर रकबा चन्दसिंह पुत्र भजनसिंह जाति जटसिख साकिन 37 एफ तहसील करणपुर खातेदार है खाता संख्या 32 के मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 23 की 2.708 हैक्टर नहरी रकबा नत्थासिंह महमासिंह, भोलासिंह पिसरान हंसासिंह जाति जटसिख साकिन 37 एफ तहसील करणपुर खातेदार के नाम बहिस्सा बराबर व खाता संख्या 33 के मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 1 ता 25 की 6.325 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 2 ता 13 की 3.036 हैक्टर 14/1 की .127 हैक्टर कुल 9.448 हैक्टर नहरी रकबा नत्थुराम, धर्मचन्द पिसरान किशनदास जाति अरोड़ा साकिन सागरवाला खातेदार के नाम व खाता संख्या 38 के मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 16/2 की 0.126, 17 ता 25 की 2.277 कुल 2.403 हैक्टर नहरी रकबा में से 1.771 हैक्टर बलदेवसिंह पुत्र हरनेकसिंह जाति जटसिख साकिन 48 जी.जी. श्रीनगर 2.403 हैक्टर शिवराजसिंह गुरतेजसिंह बलतेजसिंह पिसरान चन्दसिंह बहिस्सा बराबर जाति जटसिख साकिन 37 एफ तहसील करणपुर खातेदार के नाम व खाता *संख्या 40 के मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 3 ता 8, 13 ता 18, 24/2, 25/2 की 3.492* हैक्टर नहरी बलबीरसिंह पुत्र हजूरसिंह कौम जटसिख साकिन 37 एफ तहसील करणपुर खातेदार खाता संख्या 74 के मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 16 ता 25 की 2.529 हैक्टर नहरी कृष्णलाल 2.023 हैक्टर मुरारीलाल, 0.506 हैक्टर पिसरान शामलाल जाति अरोड़ा साकिन 37 एफ खातेदार व खाता संख्या 77 के मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 1 ता 10, 11 12, 13/1 की कुल 3.099 हैक्टर नहरी भूमि हिम्मतराम पुत्र दयालाराम जाति अरोड़ा साकिन सागरवाला खातेदार के नाम दर्ज है।

प्रार्थी नें मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 21/.013, 22/.012, 23/.013, 24/.012, 25/.013 मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 21/.013, 22/.012, 23/.013, 24/.012, 25/.013, मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 21/.013, 22/.012, 23/.013, 24/.012, 25/.013 मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 1/.013, 2/.013, 3/.013, 4/.012, 5/.013, मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 1/.013, 2/.012, 3/.013, 4/.012, 5/.013 मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 1/.013, 2/.012, 3/.013, 4/.013, 5/.012 कुल 0.378 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत करवानें के लिये आवेदन किया है। जो के मौके पर चालू है व कच्चा रास्ता है प्रस्तावित रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है।

तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट को न्याय आपके द्वारा अभियान 2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जोधेवाला में आयोजित लोक अदालत के मजमें आम में पढ़कर सुनाया गया प्रकरण में वर्णित भूमि को मौके पर भौतिक निरीक्षण किया गया दौरानें निरीक्षण पाया गया कि उक्त वर्णित भूमि पर मौके पर रास्ता चालु है। लोक अदालत के दौरान स्वराजसिंह, चन्दसिंह, बलबीरसिंह, भोलासिंह, महिमासिंह, दीवानचन्द, कृष्णलाल वधवा तथा धर्मचन्द नें उपस्थित होकर सहमती का शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि मौक पर चालु रास्ता को स्वीकृत किया जाता है, तो हम पक्षकारान को किसी तरह का एतराज नहीं होगा।

अतः सरपंच ग्राम पंचायत जोधेवाला द्वारा चाही गई स्वीकृति के सन्दर्भ में किसी प्रकार का कोई एतराज प्राप्त नहीं होनें तथा मौके पर रास्ता चालु होनें के कारण रास्ता को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करनें की मांग उचित होनें के कारण सरपंच ग्राम पंचायत जोधेवाला द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया।

— :: आदेश ::—

अतः सरपंच ग्राम पंचायत जोधेवाला द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) व सपठित राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1955 की धारा 8 (2) के अन्तर्गत चक 15 जी छोटी पटवार मण्डल जोधेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 21/.013, 22/.012, 23/.013, 24/.012, 25/.013 मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 21/.013, 22/.012, 23/.013, 24/.012, 25/.013, मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 21/.013, 22/.012, 23/.013, 24/.012, 25/.013 मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 1/.013, 2/.013, 3/.013, 4/.012, 5/.013, मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 1/.013, 2/.012, 3/.013, 4/.012, 5/.013 मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 1/.013, 2/.012, 3/.013, 4/.013, 5/.012 कुल 0.378 हैक्टर गैर मुमकिन भूमि में मौके पर चालु रास्ता को गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है, कि वे उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करना सुनिश्चित करे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 25.05.2018 को लिखवाया जाकर न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत 4 जोधेवाला में आयोजित राजस्व लोक अदालत के मजमे आम में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
उपखण्ड सहायक कलेक्टर
श्रीगंगानगर